तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16–12–2024	पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने निवेदन किया कि पत्रावली में पैरवी करने हेतु न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट मोतीलाल को नोटिस जारी किया गया है। उक्त जारी नोटिस अपीलाण्ट मोतीलाल के पुत्र दिनेश शर्मा द्वारा प्राप्त किया गया है तथा नोटिस पर स्वर्गवास होने का नोट अंकित किया गया है। न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा के हस्ताक्षर है। अपीलाण्ट मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाण्ट के वारिसान न्यायालय में पत्रावली की पैरवी करने हेतु उपस्थित नही हो रहे है। अतः अपील जरिये एबेट खारिज फरमायी जावे। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाण्ट मोतीलाल को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा स्वर्गवास होने की रिपोर्ट की गई है। अपीलाण्ट के कायम मुकाम को विचाराधीन पत्रावली की जानकारी होने के बावजुद न्यायालय में वकालतन अथवा असालतन उपस्थित नही हो रहे है। ऐसी स्थिति में पत्रावली जरिये एबेट खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज फैसल होकर दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त, पाली	